रजिस्टर्ड नं०-एडी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट पेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 6 जनवरी, 2018 ई० (पौष 16, 1939 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

21 दिसम्बर, 2017 ई०

सं0 415/23-1/2008-2011–उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथासंशोधित 1994 की धारा 239(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, बलिया द्वारा जनपद बलिया में फिक्साड चिमनी ईंट भट्ठा, टाइल्स आदि के लाईसेंस शुल्क की प्रचलित उपविधि में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जिसका अनुमोदन जिला पंचायत, बलिया की बैठक में किया गया है।

प्रस्तावित **संशोधन**–

1–प्रचलित उपविधि से नियम 8 के स्थान पर निम्न रखा जाय–

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	पुरानी दर प्रतिवर्ष	संशोधित दर प्रतिवर्ष
		रु0	रु0
(अ)	फिक्सड चिमनी ईंट, भट्ठा	2,000.00	6,000.00
(ब)	बिना चिमनी के ईट भट्ठा अनुज्ञा-पत्र शुल्क	100.00	1,000.00
(स)	टाईल्स अनुज्ञा-पत्र शुल्क	500.00	2,500.00
(द)	चूना या सुर्खी, इंजन की शक्ति द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	50.00	800.00
(य)	चूना या सुर्खी, बैल चक्की द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	100.00	500.00

2–संचालित उपविधि के नियम 13 के स्थान पर निम्न रखा जाय–

प्रचलित नियम	संशोधित नियम
01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक नवीनीकरण में कराने पर रु0 300.00 विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। उसके उपरान्त लाइसेंस न लेने पर भट्ठा मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।	प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस अवधि में नवीनीकरण न कराने पर विलम्ब शुल्क नवम्बर माह का रु0 600.00 होगा। तथा उसके उपरान्त प्रत्येक माह रु0 200.00 की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा तथा लाइसेंस न लेने पर भट्ठा मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बलिया

41 हि०गा०–5

जनपद बलिया के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुकानों के लाइसेंस शुल्क का प्रस्तावित उपविधि

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) की सूची के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला पंचायत बलिया द्वारा अपने नियंत्रणाधीन ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले विभिन्न प्रकार के दुकानों फैक्ट्रियों, मिलों, इण्डस्ट्रीज, मांस, मछली विक्रेताओं, पोल्ट्री फार्म, मछली पालकों, आटा तेल चक्कियों, आरा मशीन, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल विक्रेताओं, मनोरंजन इकाईयों, कोल्ड स्टोरेज आदि को विनियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूर्व में बनायी गयी उपविधि विज्ञप्ति संख्या 885/21-65(88-91) दिनांक 20 जुलाई, 1991 को प्रकाशित है, में लाइसेंस की दरों में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव नियमानुसार जिला पंचायत, बलिया की बैठक दिनांक 12 अप्रैल, 2016 को कार्य सूची संख्या 04(क) द्वारा पारित हुआ है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के धारा 239(2) के अन्तर्गत इसे प्रकाशित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जिसे कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करना हो तो प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत, बलिया में प्रेषित कर सकता है।

उपविधियां

1—ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा में दी गयी परिभाषा के अनुसार होगा।

2—कोई भी व्यक्ति/संस्था बलिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के वस्तु, खाद्य पदार्थ, मशीनरी, फैक्ट्रियों, मिलो इण्डस्ट्रीज, पेट्रोल व डीजल पम्प, मिट्टी का तेल बेचना, पोल्ट्री फार्म, मछली पालन, मनोरंजन इकाई, कोल्ड स्टोरेज, आटा चक्की तेल मशीन, आरा मशीन एवं आबकारी सम्बन्धी व्यवस्था तथा कोई भी शक्ति चालित व्यवस्था तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि उस व्यक्ति/संस्था ने जिला पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके लाइसेंस न प्राप्त कर लिया हो।

3—इन उपविधियों में वर्णित व्यवस्था करने वाले ऐसे व्यवसायकर्ताओं को इन उप विधियों के प्रभावी होने के पूर्व उक्त क्षेत्र भी व्यवसाय करता हो प्रभावी होने के तीन माह के अन्दर लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

4—लाइसेंस प्राप्तकर्ताओं द्वारा किसी भी उप विधि या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेंसिंग अधिकारी जिला पंचायत, बलिया को किसी भी समय लाइसेंस को स्थापित अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा, जिसका अपील अध्यक्ष, जिला पंचायत बलिया को एक माह के अन्दर की जा सकेगी जिसका निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

5—इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंस अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी होंगे।

6—प्रत्येक लाइसेंस की अवधि एक वर्ष की होगी, जो एक अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।

7—लाइसेंस अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी या कर निरीक्षक लाइसेंस की जांच कर सकेगा। सम्बन्धित व्यवसायी का यह कर्तव्य होगा कि जांच के समय उक्त अधिकारी को लाइसेंस दिखावें।

8—प्रतिबन्ध यह है कि इन उपविधियों के अधीन किसी शुल्क का बकाया उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम के अध्याय 8 में व्यवस्थित रीति के अनुसार वसूल किया जायेगा।

9—इन उपविधियों के अन्तर्गत बनने वाले अथवा नवीनीकरण कराने वाले लाइसेंस प्रत्येक वर्ष 30 जून तक बनवा लेना होगा। ऐसा न करने पर विलम्ब की अवधि के लिये प्रत्येक मह के निर्धारित लाइसेंस शुल्क पर रु0 10.00 विलम्ब शुल्क प्रति माह की दर से होगा विलम्ब की अवधि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल से प्रारम्भ होगी।

10—इस उपविधि से सम्बन्धित समय-समय पर जारी शासनादेश के अन्तर्गत यदि उप विधि के कोई नियम प्रभावी होते है जो वह उसी के अनुरूप स्वतः संशोधित समझे जायेगें।

11—व्यवसायों में जिनकी बिक्री माप-तौल करके होती है के विक्रय में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बाटों या मापों की प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

12—केन्द्र अथवा राज्य सरकार या अन्य कोई विधिक संस्था की उपविधि में उल्लिखित व्यवसायों के नियन्त्रण में लाइसेंस यदि करते हो, से भिन्न यह लाइसेंस होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बलिया

लाइसेंस की शर्तें

1–कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रकार की छूत की बीमारी से पीड़ित है, न तो स्वयं उप विधियों में वर्णित कोई दुकान अथवा व्यवसाय कर सकता है और न किसी ऐसे रोगी को व्यवसायी या सहायक नौकरी के रूप में रख सकता है।

2–प्रत्येक व्यवसायी को अपने दुकान के सामने बोर्ड लगाना होगा जिस पर दुकान के नाम, व्यवसाय व दुकान मालिक का नाम स्पष्ट लिखा होगा। प्रत्येक दुकानदार सामानों के निर्धारित बिक्री दर की सूची रखेगा।

खाद्य पदार्थ की दशा में

1–कोई भी व्यवसायी खाद्य पदार्थ हेतु या खाने में ऐसे धातु के बर्तन का प्रयोग नहीं करेगा जो खाद्य पदार्थ को किसी भी प्रकार से विकृत, विषावत्त करते हो या जिन पर बनाया हुआ या रखा हुआ पदार्थ स्वास्थ्य के लिये नुकसान दायक हो सकता हो।

2–खाद्य पदार्थ के बिक्री कै लिये रखे गये पदार्थ पूर्णतया आच्छादित करके रखी जायेगी। जिससे उन पर धूल, कंकण, कोई हानिकारक जीव न बैठने पाये और न ही हानिप्रद पदार्थ मिलने की सम्भावना न हो।

3–खाद्य पदार्थ में प्रयोग होने वाले बर्तन या काकरी के बर्तनों को स्वच्छ रखने वाले पाउडर से साफ करने के उपरान्त ही जन साधारण के प्रयोग हेतु दिया जायेगा।

4–खाद्य पदार्थों को दुकानों के किनारे की नाली को ढक्कनें का दायित्व दुकान मालिक का होगा।

मांस बिक्री की दशा में लाइसेंसधारी के लिये निम्न प्रतिबन्धों का पालन करना अनिवार्य होगा

1–कोई बीमारी या गाभिन पशु नहीं मारा जायेगा।

2–पशु को मारने के पूर्व उसके स्वास्थ्य का परीक्षण निकटतम पशु चिकित्सालय के पशुधन विकास अधिकारी से कराना अनिवार्य होगा, जो पशु के स्वस्थ होने का प्रमाण-पत्र जारी करेंगे।

3–पशु के मारने का स्थान सार्वजनिक मार्ग तथा आबादी से कम से कम 100 मी0 दूर होगा तथा इस प्रकार से बन्द होगा कि बाहर से किसी व्यक्ति को दिखायी न दें। उक्त स्थान स्वच्छ होना चाहिये तथा उसकी फर्श पर ईंटे बिछी होनी चाहिये तथा लकड़ी रखी होनी चाहिये।

4–वध किये गये पशु का अवशेष खुले में नहीं फेंका जायेगा, अपितु उसे भूमि में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जायेगा।

5–विक्रय हेतु रखा गया मांस साफ कपड़े से ढक कर रखा जायेगा तथा इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी कि मक्खियों आदि से बचाव हो सके। विक्रय हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत बांट का ही प्रयोग किया जायेगा।

फैक्ट्री मिलों, इण्डस्ट्रीज, मनोरंजन, इकाईयों, चक्कियों, ज्वलनशील पदार्थ की दशा

1–शक्ति का अर्थ 1939 के फैक्ट्री अधिनियम की धारा 83(2) की परिभाषा के अनुसार होगा।

2–फैक्ट्री का अर्थ ऐसे परिसर अथवा भूमि से है जिसके किसी भाग में किसी वस्तु के उत्पादन क्रिया में साधारणतः शक्ति का उपयोग किया जाता है। चीनी के सन्दर्भ में फैक्ट्री की शब्द का वही अर्थ होगा जो सु0 प्रा0 चीनी नियन्त्रण अधिनियम, 1938 को की धानरा 03 के क्रमशः खण्ड जद्ध एवं बीद्ध में परिभाषित है फैक्ट्री की उक्त परिभाषा के अलावा निम्नांकित को भी इन उपविधियों के अन्तर्गत माना जायेगा।

3–फैक्ट्री के परिसर का जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

4–15 वर्ष से कम आयु के व्ययक्तियों की सेवा में नहीं रखा जा सकता है।

5–किसी संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति को फैक्ट्री में कार्य करने की आज्ञा न होगी।

6–फैक्ट्री का आहाता सभी समय स्वच्छ, स्वास्थ्य प्रद और अच्छी दशा में रखना होगा।

7–चिमनी को पड़ोस की सबसे ऊंची इमारत से 5 मी0 से कम ऊंचाई पर नहीं होनी चाहिये।

8–फर्श और नालियों व शीरा भरने के तालाब पक्के हो तथा उनकी संतोषजनक मरम्मत होती रहनी चाहिये प्रयोग किये हुये पानी की निकासी के लिये ऐसी नालियां बनवाई जाय जिन्हें लाइसेंस अधिकारी उचित समझें।

9–समस्त फैक्ट्री के मालिकों/संचालकों के लिये प्रदूषण के सम्बन्ध में समय-समय पर पारित केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के आदेशों एवं निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बलिया

10–इंजन के कमरे की फर्श, दीवाल कम से कम 4 फीट तक पक्की होगी तथा मकान के अन्य भाग से उक्त कक्ष में सामान्य आवागमन नहीं होनी चाहिये। मशीन लोहे की छड़ी अथवा अन्य किसी तरह से सुरक्षित हो। मशीन पक्के फर्श पर लगायी गयी हो तथा उसकी दीवालों से दूरी कम से कम 4 फीट हो।

11–चक्की के अहाते में कोई पाखाना तथा पेशाब खाना नहीं होना चाहिये यदि हो तो चक्की के कमरे से अलग और 6 फीट से कम के फासले पर नहीं होनी चाहिये।

12–चक्की के स्थान किसी सार्वजनिक पाखाना, कूड़ा खाना तथा ऐसे स्थानों से जहां हानिकारक दुर्गन्ध आदि निकलती हो 100 फीट के अन्दर नहीं होना चाहिये।

13–पानी निकालने की नाली में पानी रोखने वाला कोई पदार्थ नहीं लगा होना चाहिये।

14–चक्की का मालिक सफाई सम्बन्धी जिला पंचायत के प्रत्येक आज्ञा मानने के लिये बाध्य होगा और चक्की के स्थान को स्वच्छ रखेगा।

15–मनोरंजन इकाईयों को जिला प्रशासन से स्थायी अथवा अस्थायी रूप से लगाने की अनुमति मिलने पर ही जिला पंचायत को सूचित करना अनिवार्य होगा।

16–फैक्ट्री के पर्यावरण, चिमनी, स्वच्छता की जांच अभियन्ता/कार्य अधिकारी जिला पंचायत से कराने के उपरान्त ही लाइसेंस निर्गत किया जायेगा।

लाइसेंस शुल्क

क–सामान्य दुकानों के लाइसेंस शुल्क की दरें निम्नवत् होगी–

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	पुरानी दर प्रतिवर्ष	संशोधित दर प्रतिवर्ष
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	कपड़े की बड़ी दुकान, जो आयकर में पंजीकृत हो	30.00	1,000.00
2	कपड़े की बड़ी दुकान	30.00	500.00
3	गल्ले की थोक दुकान जिसमें 10 कुन्तल से अधिक मूल्य हो	50.00	1,000.00
4	गल्ला किराना, परचून की दुकान दर	50.00	500.00
5	मेडिकल स्टोर की ऐसी दुकान जिसमें मेडिकल प्रैक्टिस होता हो	30.00	1,000.00
6	सोना, चांदी के आभूषण की दुकान पर	15.00	1,000.00
7	बर्तन की दुकान जिसमें फूल, पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील सम्मिलित	30.00	1,050.00
8	केवल स्टील बर्तन की दुकान पर	50.00	500.00
9	केवल एल्यूमिनियम बर्तन की दुकान पर	50.00	500.00
10	स्टील, आलमारी, बड़े बाक्स निर्माण पर	50.00	1,000
11	छोटे बक्से आदि के निर्माण एवं बिक्री पर	50.00	500.00
12	स्टेशनरी की दुकान पर	30.00	300.00
13	ईमारती लोहे की बड़ी दुकान पर जिसमें पानी पाइप या उससे सम्बन्धित सामान कटीले तार, चारा मशीन, बाल्टी, जीलादारी जंगले, खिड़की, शंटर इत्यादि हो।	50.00	500.00
14	लोहे की छोटी दुकान पर जिसमें क्रमांक 23 के अतिरिक्त ताले, चाभी, हथौड़ा, स्क्रू, नट, बोल्ट, कील, कब्जे, हैण्डिल, सिटकनी अन्य छोटे सामान इत्यादि हो।	20.00	300.00
15	फर्नीचर की दुकान जिसमें सोफा सेट, मसहरी, कुर्सी, चौकी, लकड़ी के दरवाजे, पावा आदि।	20.00	500.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बलिया

1	2	3	4
		रु०	रु०
16	जलौनी लकड़ी की दुकान पर	15.00	200.00
17	साइकिल की दुकान जिसमें साइकिल रिक्शा के पार्ट, टायर, ट्यूब की बिक्री होती है	40.00	[illegible]
18	साइकिल मरम्मत की दुकान पर	15.00	100.00
19	गाड़ियों के मरम्मत की दुकान	25.00	200.00
20	कपड़े की सिलाई की दुकान जिसमें एक मशीन चलती है	10.00	100.00
21	कपड़े की सिलाई की ऐसी दुकान जिसमें एक से अधिक मशीन चलती हो	25.00	200.00
22	बिजली के मोकटर, पंखो, बल्ब, तार आदि की दुकान पर जहां बिजली सम्बन्धी सामान बेची जाती हो	20.00	300.00
23	बाल काटने के सैलून पर	15.00	100.00
24	रासायनिक खाद की दुकान जिससे सरकारी दुकान या गोदाम सम्मिलित न हो	50.00	300.00
25	केवल सीमेन्ट की दुकान पर	50.00	1,500.00
26	गिट्टी, पत्थर, सीमेन्ट के सामान, सेनेटरी फिटिंग एवं नाद निर्माण एवं विक्री की दुकान पर।	25.00	500.00

ख–खाद्य पदार्थ के लाइसेंस शुल्क की दरें निम्नवत् होंगी–

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	पुरानी दर प्रतिवर्ष	संशोधित दर प्रतिवर्ष
		रु0	रु0
27	मांस विक्रेता (बकरा/सूअर)	20.00	800.00
28	मिठाई, चाय, नमकीन सम्मिलित दुकान पर	20.00	300.00
29	केवल मिठाई की दुकान	10.00	800.00
30	चाय, लस्सी, छोला वाटर, फल जूस आदि पर	10.00	400.00
31	केवल चाय की दुकान पर	10.00	100.00
32	केवल पान की दुकान पर	10.00	100.00
33	केवल चाय, पान की सम्मिलित दुकान पर	20.00	300.00
34	फल या सब्जी की फुटकर दुकान पर	10.00	300.00
35	फल या सब्जी की थोक दुकान पर	40.00	800.00

ग–फैक्ट्री, इण्डस्ट्रीज, चक्कियों, मनोरंजन ईकाइयों, **ज्वलनशील** पदार्थों, कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंस शुल्क–

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	पुरानी दर प्रतिवर्ष	संशोधित दर प्रतिवर्ष
		रु0	रु0
36	आटा चक्की	50.00	500.00
37	स्पेलर	50.00	500.00
38	हालर	50.00	400.00
39	रुई धुनने की मशीन	50.00	200.00
40	चूड़ा मशीन	50.00	200.00
41	आरा मशीन	50.00	1,000.00
42	हयूम पाइप अथवा स्टील सेलिंग	50.00	1,500.00
43	सरिया बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	100.00	3,000.00
44	पंखा बनाने का कारखाना	100.00	2,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बलिया

41 हि०ज०-6

प—सामान्य से—

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	पुरानी दर प्रतिवर्ष	संशोधित दर प्रतिवर्ष
		रु0	रु0
45	दूध, दही, घी, खोआ, मक्खन के विक्रेता	10.00	1,000.00
46	वेल्डिंग की दुकान पर	100.00	1,000.00
47	प्रिंटिंग प्रेस बड़ा	50.00	1,000.00
48	प्रिंटिंग प्रेस छोटा	25.00	500.00
49	फोटो स्टूडियो	20.00	500.00

उपरोक्त अनुसूची में 49 के बाद 129 तक निम्न नया आईटम जोड़ा गया है।

लाइसेंस शुल्क

क—सामान्य दुकानों के लाइसेंस शुल्क की दरें निम्नवत् होंगी—

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	पुरानी दर प्रतिवर्ष	संशोधित दर प्रतिवर्ष
		रु0	रु0
50	कपड़े की फुटकर दुकान	—	400.00
51	कपड़ा फेरी	—	100.00
52	बिसाता एवं जनरल मर्चेन्ट की बड़ी दुकान पर	—	500.00
53	बिसाता एवं जनरल मर्चेन्ट की छोटी दुंकान पर	—	200.00
54	केवल एलोपैथिक की मेडिकल दुकान पर	—	500.00
55	नर्सिंग होम जिसकी क्षमता 10 बेड से ऊपर हो	—	2,000.00
56	नर्सिंग होम जिसकी क्षमता 10 बेड तक हो	—	1,000.00
57	केवल आयुर्वेदिक अथवा होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर घर	—	500.00
58	एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद की सम्मिलित दुकान पर	—	600.00
59	सोना, चांदी के मरम्मत की दुकान पर	—	500.00
60	मोटर, ट्रक, टैंकर के टायर, ट्यूब के मरम्मत तथा मशीनों से हवा भरने पर	—	200.00
61	गाड़ी की दुकान जहां गाड़ियां बेची जाती हैं दो पहिया वाहन,	—	3,000.00
	चार पहिया वाहन		5,000.00
62	रेडियो, टी0वी0 टेप रिकार्ड, कैसेट की सम्मिलित दुकान वहां बिक्री होती है	—	1,000.00
63	रेडियो, टी0वी0, टेप रिकार्ड, कैसेट की मरम्मत होती हो	—	300.00
64	पम्प एवं डायनेमों की मरम्मत पर	—	200.00
65	लाउडस्पीकर एवं इससे सम्बन्धित दुकान पर	—	200.00
66	लाण्ड्री की दुकान् पर	—	200.00
67	कृषि बीज एवं दवाओं की दुकान पर	—	300.00
68	मोटर साइकिल, स्कूटर कार मरम्मत की दुकान पर	—	300.00
69	कार, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर, मोटर आदि के पार्टस बिक्री पर	—	1,000.00
70	कार, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर मोटर आदि के मरम्मत की दुकान पर	—	500.00
71	रासायनिक खाद की थोक दुकान पर	—	500.00
72	अफीम, गांजा, चरस व ताड़ी के दुकान पर	—	500.00
73	शराब की दुकान पर	—	5,000.00
74	बेकरी उद्योग	—	300.00
75	क्राकरी की दुकान	—	300.00
76	हर किस्म के वार्निश तारपीन तेल आदि पर	—	200.00
77	रस्सी की दुकान जिसमें नारियल, सन, सुतली की बनी हुई टाट पट्टी, कनवेस, खारा व खारा की बनी हुई सामान की दुकान पर	—	300.00
78	सीमेन्ट, छड़, मोरंग, बालू, गिट्टी आदि की सम्मिलित दुकान पर	—	2,000.00
79	केवल मोरंग बालू गिट्टी की दुकान	—	500.00
80	समस्त प्रकार की चूना, सीमेन्ट वाले मारबल, रंगीन सफेदी, खड़िया, राजरंग हर तरह के गैस आदि की दुकान पर		250.00
81	कड़ाहा द्वारा भुजिया चावल बनाने पर	—	150.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बलिया

ख–खाद्य पदार्थ के लाइसेंस शुल्क की दरें निम्नवत् होंगी–

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	पुरानी दर प्रतिवर्ष	संशोधित दर प्रतिवर्ष
1	2	3	4
		रु0	रु0
82	मछली बेचने की दुकान	–	300.00
83	मछली पालक	–	1,000.00
84	पोल्ट्री फार्म	–	1,000.00
85	अण्डा बिक्रेता	–	300.00
86	होटल	–	800.00
87	ढाबा होटल पर	–	500.00
89	होटल चाय की सम्मिलित दुकान पर	–	600.00

ग–फैक्ट्री, इण्डस्ट्रीत, चक्कियों,मनोरंजन इकाइयों, ज्वलनशील पदार्थों, कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंस शुल्क–

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	पुरानी दर प्रतिवर्ष	संशोधित दर प्रतिवर्ष
1	2	3	4
		रु0	रु0
90	जूट मिल	–	3,000.00
91	जूट, सन, प्लास्टिक, नैलान	–	2,000.00
92	आईस फैक्ट्री	–	5,000.00
93	कोल्ड स्टोरेज	–	8,000.00
94	दवा की फैक्ट्री या रासायनिक खाद की फैक्ट्री	–	5,000.00
95	खाद्य तेल अथवा दाल मिल	–	5,000.00
96	खांडसारी अथवा छोटे पैमाना पर चीनी बनाने का कारखाना	–	5,000.00
97	चीनी मिल	–	10,000.00
98	राइस मिल अथवा फ्लोर मिल	–	6,000.00
99	मिनी राइस मिल अथवा फ्लोर मिल	–	3,000.00
100	ईट, पत्थर की रोड़ी तोड़ने की मशीन	–	2,000.00
101	अन्य बड़े पैमाने का कारखाना	–	5,000.00
102	अन्य छोटे पैमाने का कारखाना	–	3,000.00
103	सिनेमा हाल स्थाई	–	5,000.00
104	सिनेमा हाल अस्थाई	–	3,000.00
105	आतिशबाजी की दुकान	–	500.00
106	केवल पेट्रोल पम्प या जल पम्प एवं मिट्टी तेल	–	6,000.00
107	डीजल एवं पेट्रोल पम्प सम्मिलित	–	5,000.00
108	मिट्टी के तेल या डीजल, पेट्रोल के फुटकर बिक्रेता	–	1,000.00
109	पत्थर के कोयला बिक्रेता	–	1,000.00
110	गैस एजेन्सी	–	10,000.00
111	बी0डी0ओ0 सेन्टर	–	300.00
112	बैण्ड बाजा पर	–	1,000.00
113	सरकस पार्टी	–	1,500.00
114	नौटंकी, आरकेस्ट्रा पार्टी पर	–	2,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बलिया

घ–सामान्य में–

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	पुरानी दर प्रतिवर्ष	संशोधित दर प्रतिवर्ष
		रु0	रु0
115	बल्ली, बांस, पटरा, मकान निर्माण के प्रयोग की दुकान	–	1,000.00
116	बैट्री मरम्मत, चार्जिंग की दुकान	–	550.00
117	चूड़ी की दुकान पर	–	250.00
118	सुर्ती की थोक दुकान पर	–	300.00
119	सुर्ती की फुटकर दुकान	–	100.00
120	इंजीनियरिंग वर्क शाप	–	1,000.00
121	टेन्ट हाउस एवं शादी विवाह के सामानों की बड़ी दुकान	–	5,000.00
122	टेन्ट हाउस एवं शादी विवाह के सामानों की छोटी दुकान	–	2,000.00
123	कबाड़ की छोटी दुकान पर	–	500.00
124	कबाड़ की बड़ी दुकान पर	–	1,000.00
125	चमड़े का सामान अथवा चमड़े के जूता चप्पल की बड़ी दुकान पर	–	500.00
126	पम्पिंग सेट बिक्रय की दुकान पर	–	3,000.00
127	अन्य व्यवसाय जो इस सूची में सम्मिलित नहीं हैं	–	500.00
128	चमड़े एवं प्लास्टिक के चप्पल जूता की छोटी दुकान पर	–	300.00

ङ–फैक्ट्री

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	पुरानी दर प्रतिवर्ष	संशोधित दर प्रतिवर्ष
1	2	3	4
		रु0	रु0
129	डिस्टेलरी फैक्ट्री, पेप्सी, कोका कोला फैक्ट्री पर	–	10,000.00

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, बलिया यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थ दण्ड से दण्डित होगा जो रु0 1,000.00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, तो रु0 50.00 प्रतिदिन का अर्थ दण्ड हो सकेगा अथवा यदि अर्थ नगद का भुगतान न किया जाय तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो तीन मास तक होगा।

के0 रविन्द्र नायक,
आयुक्त,
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बलिया

पी0एस0यू0पी0–41 हिन्दी गजट–भाग-3–2018 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।